**प्रकाशन के लिए अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर**

**युगल पीठ - माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री राधे श्याम शर्मा न्यायमूर्तिगण**

**दा०अ० क्र०. 804/1993**

**भोलूराम एवं अन्य**

**बनाम**

**मध्य प्रदेश राज्य**

**(अब छग राज्य)**

**आदेश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**विचारार्थ**

**सही/-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायधीश**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा**

**मैं सहमत हूँ**

**सही/-**

**श्री राधे श्याम शर्मा**

**न्यायधीश**

**आदेश के लिए दिनांक 2/08/2011 को सूचीबद्ध करें**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर**

**खंड पीठ - माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री राधे श्याम शर्मा, न्याय्मुर्तिगण**

**दा०अ० क्र०. 804/1993**

| | |
|---|---|
| **अपीलकर्तागण** | 1. **भोलूराम, पिता लहारु केवट, उम्र 50 वर्ष\|**<br>2. **भरत, पिता भोलूराम केवट, उम्र 25 वर्ष**<br>3. **गज्जू, पिता ननकी साहू, उम्र 50 वर्ष (मृत आदेश दिनांक 20/02/2006 के द्वारा निरस्त किया गया)**<br>4. **दाउवा (बौदा), पिता महेत्तर कँवर, उम्र 35 वर्ष**<br>5. **पुर्रू उर्फ़ श्याम प्रसाद, पिता अर्जुन साहू, उम्र 25 वर्ष**<br>6. **रतिराम, उर्फ़ पीला पिता गज्जू साहू, उम्र 26 वर्ष**<br>7. **भूषण, पिता सुकालू साहू', उम्र 30 वर्ष**<br>8. **बरातू, पिता तेग्नु यादव, उम्र 34 वर्ष**<br>9. **चंदराम, उम्र 45 वर्ष, पिता बहोरिक साहू उर्फ़ जोइथा (मृत आदेश दिनांक 20/02/2006 के द्वारा द्वारा निरस्त किया गया)**<br>10. **नारद, पिता बदुदा कँवर. उम्र 20 वर्ष**<br>**सभी निवासी गावं सेमरिया, पुलिस थाना एवं तहसील पामगढ़, जिला बिलासपुर, म.प्र. (अब छग)** |
| **प्रत्यर्थी** | **मध्य प्रदेश राज्य (अब छग राज्य)** |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें**

**उपस्थित :**

**श्री पी के पटेल अधिवक्ता अपीलकर्ताओं की ओर से |**

**श्री आशीष शुक्ला, शाश्कीय अधिवक्ता राज्य की ओर से |**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**आदेश**

**(02/08/2011)**

न्यायलय का निम्नलिखित आदेश न्यायधीश **श्री सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा दिया गया

(1) यह अपील 23 जुलाई, 93 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 16/89 में दिए गए आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को धारा 148 और 302/149 भारतीय दंड संहिता (दो बार में) के तहत दोषी ठहराया गया है और 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, साथ ही प्रत्येक को 1,000/- रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है—जुर्माना न देने पर 3 महीने के कठोर कारावास (दो बार में)। अपीलकर्तागण—भरत (ए-2), गाजू (ए-3), पुरु उर्फ़ श्याम प्रसाद (ए-5), रतिराम उर्फ़ पीला (ए-6) तथा भूषण (ए-7) को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत भी दोषी ठहराया गया है और 1 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी गई है, तथा निर्देश दिया गया है कि सभी सज़ाएँ साथ साथ चलेंगी।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

दो मृतक व्यक्तियों—मौजीराम और रथराम—की मृत्यु घटना दिनांक 12.8.88 को लगभग दोपहर 12 बजे सेमरिया गाँव में हुई। कुल 74 आरोपियों पर धारा 148 और 302/149 भारतीय दंड संहिता (दो बार) तथा धारा 323/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोग चलाया गया। इनमें से 64 आरोपियों को 10 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया और 10 आरोपी (वर्तमान अपीलकर्ता) दोषी ठहराए गए तथा उन्हें उपर्युक्त अनुसार दंडादेश दिया गया। अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 12.8.88 को लगभग दोपहर 12 बजे, आरोपियों ने एक विधि विरुद्ध जमाव गठित किया , घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया किया, और उसी विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, दो मृतकों की हत्या की और शिकायतकर्ता पक्ष के 5 गवाहों पर हमला किया। दिनांक 12.8.1988 हरियालि त्योहार का दिन था। उक्त त्योहार के उपलक्ष्य में एक भेड़ की बलि बंधु शेफर्ड (अभि.सा-8) के घर पर दी जा रही थी। मौजीराम, रथराम (दोनों मृतक) और किरितराम यादव (अभि.सा-14) बंधु के घर में भेड़ के मांस को खरीदने के लिए मौजूद थे। आरोपियों को मौजीराम के बारे में पता चला। वे आरोपी गाजू साहू के घर में इकट्ठा हुए। आरोपी भरत के पास एक *तब्बल* था और बाकी आरोपी *लाठी* लिए हुए थे। विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के बाद, वे बंधु शेफर्ड (अभि.सा-8) के घर गए और उसे गाली देने लगे। मौजीराम और रथराम आरोपियों के पास गए और उन्हें गाली-गलौज तथा झगड़ा न करने के लिए कहा। इस पर आरोपी भरत ने मृतक मौजीराम पर हमला किया। मौजीराम गिर गया। इसके बाद मौजीराम पर तब्बल और *लाठी* से हमला किया गया। उसे कई गंभीर चोटें लगीं और उन्हीं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रथराम पर भी आरोपियों ने *फारसा* से हमला किया। उसे भी कई चोटें लगीं। रथराम को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्पताल ले जाया गया, परंतु वह भी अपनी चोटों के कारण मर गया। पहाड़ू (अभि.सा-12), बंधन सिंह (अभि.सा-13), समारू (अभि.सा-15), चन्द्रराम (अभि.सा-16) और धनसाई (जिसका प्रकरण में शामिल नहीं किया गया) को भी चोटें आईं। देहाती नालसी (प्रदर्श पी/173) और मर्ग सुचना (प्रदर्श पी/174) दर्ज किए गए, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/185) दर्ज की गई मृतको का शव परिक्षण हेतु भेजा गया |

डॉ. डी.सी. चौधरी (अभि.सा-7) के द्वारा शव परिक्षण किया गया। शवप्रकरण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/13 और पी/15 हैं। पहारू (अभि.सा-12), बंधन सिंह (अभि.सा-13), समारू (अभि.सा-15), चन्द्रराम (अभि.सा-16) और धनसाई को भी चिकित्सकीय प्रकरण के लिए भेजा गया था। उनका प्रकरण डॉ. बी.एल. मिश्रा (अभि.सा-6) ने किया। उन्होंने उपर्युक्त गवाहों के शरीर पर साधारण चोटें पाई। उनकी चोटों की रिपोर्टें प्रदर्श पी/7, पी/4, पी/5, पी/6 और पी/3-ए हैं। अभियोजन का मामला उपर्युक्त घायल गवाहों तथा अन्य 3 अभियोजन गवाहों—द्वारिका प्रसाद (अभि.सा-3), खम्मन (अभि.सा-5) और बंधु शेफर्ड (अभि.सा-8)—के प्रत्यक्षदर्शी बयानों पर आधारित था। अभियोजन ने औपचारिक गवाहों के अतिरिक्त, उपर्युक्त 7 चतुर्दर्शी गवाहों की जाँच की ताकि वह अपना केस सिद्ध कर सके। माननीय सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्त प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर भरोसा किया और पाया कि 74 आरोपियों में से केवल 10 अपीलकर्ता ही विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  के सदस्य थे और उन्होंने 2 मृतकों की हत्या में भाग लिया था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ए-2, ए-3, ए-5, ए-6 और ए-7 ने विभिन्न घायल गवाहों पर हमला किया, जिन्हें साधारण चोटें आईं, इसलिए उन्हें धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत व्यक्तिगत रूप से दंडित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलकर्ता गज्जू (ए-3) और चन्द्रराम (ए-9) की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उनके नाम दिनांक 20.2.2006 के आदेश के अनुसार वाद–शीर्षक से हटा दिए गए हैं और इन दो अपीलकर्ताओं की ओर से दायर अपील का उपशमन हो गया है।

(4) हमें राज्य के अधिवक्ता द्वारा केंद्रीय जेल, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया गया है कि भरत (ए-2) और बरातू (ए-8) को विशेष छुट के आधार पर दिनांक 18.12.2002 को हिरासत से रिहा किया जा चुका है।

(5) श्री पी.के. पटेल, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता, ने 2 मृत व्यक्तियों की मानववध को लेकर कोई विवाद नहीं किया। उनका तर्क था कि बंधु शेफर्ड (अभि.सा-8) के घर के सामने भारी भीड़ थी और यह निर्धारित करना कठिन था कि विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  के सदस्य कौन थे। इसलिए, धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से अपीलकर्ता को दोषी ठहराना अनुचित था। उन्होंने उपर्युक्त चतुर्दर्शियो के साक्ष्यों का संदर्भ दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् माननीय शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को विस्तार से सुना है और सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) ***मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 1965 एस सी 202*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-17 में यह कहा कि — “किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  का सदस्य होने

का आरोप है, सिद्ध किया जाना आवश्यक यह है कि वह उस जमाव का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक था तथा उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर धारा 141 भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित सामान्य उद्देश्य में भाग लिया।" धारा 142 यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी ऐसे तथ्य जानते हुए कि किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है या उसमें बना रहता है, उसे उस विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  का सदस्य माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, पाँच या अधिक व्यक्तियों की ऐसी जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों की ऐसी जमाव जो धारा 141 के पाँच उपबंधों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य करती है और उन उद्देश्यों का अनुसरण करती है, विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  कहलाती है। ऐसे बार में मुख्य प्रश्न यह निर्धारित करना होता है कि क्या जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनी थी और क्या वे व्यक्ति धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों में संलग्न थे। इस प्रश्न को तय करते समय यह देखना भी प्रासंगिक होता है कि क्या जमाव में ऐसे कुछ व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय दर्शक थे और केवल जिज्ञासा के कारण जमाव में शामिल हो गए थे, बिना यह इरादा किए कि वे जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाएँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) उपर्युक्त आदेश तथा अन्य कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने ***पांडुरंग चंद्रकांत महत्रे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 10 एस सी सी 773*** में यह कहा कि धारा 149 के दो आवश्यक तत्व हैं:

(i) विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  के सदस्यों द्वारा अपराध का किया जाना; और

(ii) ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, या फिर ऐसे सदस्यों को यह ज्ञात हो कि ऐसा अपराध किया जाना संभावित है। सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करते समय, विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  के प्रत्येक सदस्य के

आचरण को घटना से पहले तथा घटना के समय देखा जाना चाहिए; विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  का उद्देश्य एक ऐसा तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है—जमाव की प्रकृति, सदस्यों के पास मौजूद हथियार, और घटना से ठीक पहले अथवा घटना के समय उनका व्यवहार।

(10)***सिकंदर सिंह बनाम बिहार राज्य, 2010 ए आई आर  एस सी डब्लू  4426*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने यह कहा कि सामान्य उद्देश्य के लिए पूर्व-निर्धारित योजना या हमले से पहले विचारो का मिलन आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है कि प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य समान हो और वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सभी जमाव में कार्य करें। सामान्य उद्देश्य को सदस्यों के आचरण, उनके शब्दों तथा सभी परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए विधि विरुद्ध जमाव गठित किया  के प्रत्येक सदस्य के आचरण को — घटना से पहले, घटना के समय, तथा अपराध के स्वरूप को — विशेष रूप से परखा जाना प्रासंगिक होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, हम अपीलकर्ताओं के मामले की जांच करते हैं।

(12) बंधु (अभि.सा-8) ने अपनी गवाही के कंडिका-4 में यह कहा कि घटना के समय मनोहर, समारू (अभि.सा-15), मोहनलाल, रथराम (मृतक), द्वारिका प्रसाद (अभि.सा-3), रामजी, खम्मन (अभि.सा-5), भगिरथी, बंधन (अभि.सा-13), शेटहर, घसिया आदि उसके घर में मौजूद थे क्योंकि उसने एक भेड़ की बलि दी थी। वे भेड़ का मांस अपने बीच बाँट रहे थे। मौजीराम (मृतक) भी उसके घर पहुँच गया था। उन्होंने गाँव वालों का हल्ला सुना। मौजीराम, रथराम और किरितराम (अभि.सा-14) यह देखने के लिए घर से बाहर निकले कि क्या हो रहा है। उन्हें द्वारिका प्रसाद (अभि.सा-3), खम्मन (अभि.सा-5), समारू (अभि.सा-15), बंधन (अभि.सा-13), पहारू (अभि.सा-12) और चन्द्रराम

(अभि.सा-16) उनके पीछे निकले । मौजीराम ने आरोपियों से कहा कि झगड़ा न करें। इसी पर आरोपी भरत (ए-2) ने मौजीराम पर पत्थर से हमला किया। मौजीराम को कनपटी पर चोट लगी और वह गिर गया। उसके बाद आरोपी बरातू (ए-8) ने हमला किया मौजीराम पर *लाठी* से हमला किया गया। भोला (ए-1), रतिराम उर्फ़ पीला (ए-6), गाजू (ए-3) आदि ने भी मौजीराम पर *लाठियों* से हमला किया। इसके बाद बरातू (ए-8) ने भूषण (ए-7) के हाथ से *तब्बल* छीन लिया और मौजीराम की गर्दन और हाथ पर प्रहार किया। रथराम (मृतक) आरोपियों से प्रार्थना कर रहा था कि वे मौजीराम पर हमला न करें। इसी पर भरत (ए-2) ने *फारसा* से रथराम के सिर पर वार किया। रथराम जमीन पर गिर गया। उसके बाद भोला (ए-1), बरातू (ए-8) और नरद (ए-10) ने उस पर *लाठियों* से हमला किया। चन्द्रराम (ए-9), पुरु उर्फ श्याम प्रसाद (ए-5) और दौवा (ए-4) ने भी रथराम पर पत्थरों से हमला किया। उसने आगे कहा कि उसने समारू (अभि.सा-15), धनसाई, बंधन (अभि.सा-13), पहारू (अभि.सा-12) और चन्द्रराम (अभि.सा-16) पर लगी चोटें भी देखीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) लगभग सभी प्रत्यक्षदर्शियों, जिनमें घायल गवाह भी शामिल हैं, ने बंधु (अभि.सा-8) की गवाही की पुष्टि की है।

(14) बंधन सिंह (अभि.सा-13) ने भी आरोपी व्यक्तियों के नाम लिए हैं, जिनमें दौवा (ए-4) शामिल है। इसी प्रकार पहारू (अभि.सा-12) ने भी दौवा (ए-4) का नाम लिया है। लगभग सभी चतुर्दर्शी गवाहों ने एक समान ढंग से बयान दिया है, और उन्होंने प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों का भी उल्लेख किया है। समीक्षा करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने वास्तव में दोनों मृतकों पर हमले में भाग लिया, और उपर्युक्त 7 प्रत्यक्षदर्शियों की

गवाही में — जिनमें घायल गवाह भी शामिल हैं — किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। इन प्रत्यक्षदर्शियों से बचाव पक्ष ने लंबी जिरह की, लेकिन बचाव पक्ष कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहा जिससे यह कहा जा सके कि उनकी गवाही अस्वीकार की जानी चाहिए या यह कहा जा सके कि उन्होंने झूठा फँसाने के उद्देश्य से अपीलकर्ताओं का नाम लिया है।

(15) श्री पटेल ने तर्क दिया कि घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए थे, इसलिए पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, अपीलकर्ताओं के नाम लेकर झूठी फँसाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।

(16) ***मुत्थु निकर एवं अन्य बनाम तमिल नाडू राज्य, एआईआर 1978 एस सी 1647*** में, जब विधि विरुद्ध जमाव गठित किया से संबंधित विषय पर विचार किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहाँ किसी झगड़े में बहुत से हमलावर हों और बड़ी संख्या में गवाह यह दावा करें कि उन्होंने अलग-अलग स्थानों और घटना के अलग-अलग चरणों में घटना को देखा, और जहाँ साक्ष्य स्पष्ट रूप से पक्षपाती हो, वहाँ निर्दोष लोगों के अपराधियों के साथ गलत तरीके से शामिल कर दिए जाने की संभावना को आसानी से नकारा नहीं जा सकता। सर्वोच्च् न्यायालय ने यह भी कहा कि जब किसी गाँव में प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच घटना घटती है, तब एक गुट से आने वाले गवाहों की गवाही का पक्षपाती होना लगभग अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि साक्ष्य पक्षपाती है, सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार करना ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं से आँखें मूँद लेने जैसा होगा। ऐसे बार में यदि साक्ष्य को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाए, तो बड़ी संख्या में आरोपी बिना सज़ा के छूट जाएंगे। साथ ही, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे बार में विपरीत गुट के अधिक से अधिक व्यक्तियों को शामिल कर देने की प्रवृत्ति रहती है — केवल उनके नाम यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहकर जोड़ देना कि घटना के समय वे भीड़ में मौजूद थे। उल्लिखित **आदेश *मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 1965 एस सी 202*** का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि इसलिए साक्ष्य का अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ प्रकरण किया जाना चाहिए।

(17) वर्तमान मामले में बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्र हो गए थे, परंतु आरोप पत्र 74 आरोपियों के विरुद्ध दाखिल किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त 7 चतुर्दर्शी गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर यह माना कि केवल 10 अपीलकर्ता मरपीट में शामिल थे और मृत व्यक्तियों को चोट पहुँचाई थी। और इसी आधार पर केवल अपीलकर्ताओं को ही विधि विरुद्ध का सदस्य माना गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को 2 मृत व्यक्तियों की मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी माना, क्योंकि प्रत्येक को विभिन्न प्रकार के हमलों का दोषी ठहराया गया था। चतुर्दर्शी 7 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ताओं की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता, जिनमें से 5 चतुर्दर्शी (एक की परीक्षा नहीं हुई) घायल थे। घायल गवाहों की उपस्थिति पर तो कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें उसी घटना में चोट लगी थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस दृष्टिकोण से साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि 74 आरोपियों में से केवल 10 ही विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे तथा वास्तव में मृत व्यक्तियों पर हमला करने में शामिल थे, जिससे उनकी मृत्यु हुई। यहाँ तक कि यदि हम यह मान भी लें कि गाँव में दोनों समूहों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, तब भी एक-दूसरे के प्रति शत्रुता होने के बावजूद, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए शारीरिक हमलों के कृत्यों को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि गवाहों ने अपीलकर्ताओं के नाम पूर्व रंजिश के आधार पर या मात्र भीड़ में उनकी उपस्थिति के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण झूठे तौर पर ले लिए। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, हमारा मत है कि सत्र न्यायधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचने में पूर्णतया उचित थे कि ये 10 अपीलकर्ता विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, उन्होंने घातक हथियारों के साथ बलवा करीत किया किया था, और उन्होंने उसी अवैध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में 2 मृत व्यक्तियों की हत्या भी की। अभिलेख में अपीलकर्ताओं का सामान्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उनके घटना के समय के आचरण से। पहले हमले के बाद, जो मृतकों को किया गया था, उन्होंने हमला जारी रखा, जिससे मोजीराम की तत्काल मृत्यु और बाद में रथराम की मृत्यु हुई।

(18) जहाँ तक 5 अपीलकर्ताओं (ए-2, ए-3, ए-5, ए-6 और ए-7) की धारा 323 भा.द.स के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, वहाँ 4 घायल गवाहों — अर्थात् पहारू (अभि.सा-12), बंधन (अभि.सा-13), समरू (अभि.सा-15) और चंद्रम (अभि.सा-16) — के बयान उपलब्ध हैं, जिनका चिकित्सकीय प्रकरण किया गया था। उनकी माइक्रो लीगल रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी/4, पी/5, पी/6 और पी/7 हैं, तथा धनसई (जिसका प्रकरण नहीं हुआ) की MLR प्रदर्श पी/3-ए है। सत्र न्यायधीश ने यह माना कि विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य इन गवाहों पर हमला करना नहीं था, और उपरोक्त अपीलकर्ता इन व्यक्तियों पर किए गए व्यक्तिगत हमलों के लिए उत्तरदायी थे। इसी आधार पर सत्र न्यायधीश ने इन अपीलकर्ताओं को धारा 323 भा.द.स के अंतर्गत भी दोषी ठहराया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, हम यह पाते हैं कि अवैध जमाव का सामान्य उद्देश्य दो मृत व्यक्तियों की हत्या करना था। अतः, उपरोक्त अपीलकर्ताओं को धारा 323 भा.ड.स के तहत व्यक्तिगत कृत्यों के आधार पर दोषी ठहराने संबंधी सत्र न्यायधीश का दृष्टिकोण भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि इस घटना में किसी भी आरोपी व्यक्ति (जो 74 की संख्या में थे) को कोई चोट नहीं आई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, यह एसी लड़ाई नहीं थी जिसमे दोनों पक्षकार सक्रीय रूप से भागीदार थे का मामला नहीं था। यह तथ्य सत्र न्यायधीश के इस निष्कर्ष को और अधिक पुष्ट करता है कि अपीलकर्ता विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, जिन्होंने उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, दोनों मृत व्यक्तियों पर हमला किया और उन पर प्राणघातक चोटें पहुँचाने में सम्मिलित हुए, जिसके फलस्वरूप उनकी हत्या हुई।

(19) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हमें इस अपील में कोई सार नहीं दिखाई देता। अतः, यह अपील ख़ारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

सही/-

आर. एस शर्मा

न्यायधीश

--00--

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में आदेश का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur